क.

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर.

वी.

अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 646-648) मार्च 1,2023

[एस**.** रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-Art.226-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-ss.13(1)(ख), (2)-एक 'ए. एस.' और उसकी पत्नी 'वाई. एस.' के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर.-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई एफ. आई. आर.-का औचित्य-आयोजितः वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर. 'ए. एस.' और 'वाई. एस.' द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का मामला बनाता है-एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में-जब भी इसकी शक्तियों का उपयोग अनुच्छेद 226 या धाराओं के तहत किया जाता है।482, किसी एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी., अदालतों को उसमें लगाए गए आरोपों की संभावना, विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू करने में उचित नहीं होगा-एक एफ. आई. आर. केवल संदेह के आधार पर दर्ज की जा सकती है, इसलिए उच्च न्यायालय को यह महसूस करना चाहिए था कि जो एफ. आई. आर. उसके अनुसार "संभावनाओं" पर आधारित थी, उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए था-अपराध होने की "संभावना" पर आधारित एफ. आई. आर. "केवल संदेह" पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. की तुलना में उच्च स्तर की होती है कि कोई अपराध किया गया है-असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं-उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. को रद्द करने में गलती की।s.482-दंड संहिता, 1860 -s.120-B।

ग

डी.

ई.

च

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-आय से अधिक संपत्ति का मामला-एक 'ए. एस.' और उसकी पत्नी 'वाई. एस.', लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी-'ए. एस.' के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप, जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे-आयोजितः लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य थे-दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने और साबित करने की आवश्यकता होती है-हालाँकि, यदि आपराधिक अभियोजन पर्याप्त सबूतों पर आधारित है और यह अन्यथा उचित है, तो यह महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के कारण दूषित नहीं होता है -

जी.

एच.

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ईटीसी ए

दुर्भावनापूर्ण आधार पर भी वर्तमान मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एफ. आई. आर. को रद्द करना-उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण-आयोजितःसामान्य दंडात्मक कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित एफ. आई. आर. को रद्द करने पर लागू होने वाले विचार पी. सी. अधिनियम के अपराध पर लागू नहीं हो सकते हैं-पी. सी. अधिनियम के तहत मामलों में, उच्च न्यायालयों के लिए उचित मार्ग यह होगा कि वे जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दें और पीड़ित पक्ष को उचित स्तर पर कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए उपचार को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दें।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-आय से अधिक संपत्ति का मामला-प्रारंभिक जांच का महत्व-चर्चा की गई।

ग

आपराधिक कानून-एफ. आई. आर. का अयोग्य प्रारूपण-चर्चा का प्रभाव।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** मुख्यमंत्री के पास दर्ज कराई गई शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि हालांकि ए. एस. बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आया था, जैसा कि आई. आर. एस. में शामिल होने के समय दायर की गई उसकी वार्षिक संपत्ति विवरणी से स्पष्ट है, "वह अपनी आय के कानूनी स्रोतों के विपरीत **2500** करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति जमा करने में कामयाब रहा है।"इसे एक बड़े दावे के रूप में देखा जा सकता है, जो पूरी तरह से अप्रमाणित है।हालाँकि, प्रारंभिक जाँच के खुलासे के कारण इसे खारिज नहीं किया जा सकता है जिसके कारण एफ़. आई. आर. दर्ज की गई और इसका हिस्सा बनी।हालांकि यह सच है कि यह अभियोजन पक्ष को एक ऐसा मामला बनाना है कि एक लोक सेवक के रूप में ए. एस. ने ऐसी संपत्ति या किसी भी कम मूल्य की संपत्ति अर्जित की जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान है, और जिसका उसके द्वारा संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं किया जा सकता है, जबकि वह पुलिस रिपोर्ट दाखिल करता है, यह कानून की आवश्यकता नहीं लगती है जब **25** फरवरी, **2020** को प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि सटीक तथ्यों और आंकड़ों को प्रथम सूचना रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।एफ. आई. आर. के अवलोकन पर यह पाया गया है कि हालांकि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, **2004** से **2018** तक की "जांच अवधि" है जिसके दौरान ए. एस. और वाई. एस. ने आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित की है।ए. एस. और वाई. एस. दोनों को वेतन, ब्याज और बेची गई संपत्तियों के मूल्य के लिए प्राप्त धन की मात्रा का अनुमान लगाने वाली कुछ गणनाएँ हैं।यह सच है कि एफ. आई. आर. का मसौदा बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता था।पहली बार से

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सूचना रिपोर्ट एक लंबी खोजी प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक बिंदु है और इस तरह की जांच को एक आरोपी द्वारा इस तरह की रिपोर्ट के अयोग्य मसौदे का लाभ उठाते हुए विफल किया जा सकता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई चीजों को रोकने के लिए अधिक सावधानी और निपुणता की आवश्यकता होती है।हालाँकि, इस मामले में एफ. आई. आर. के अयोग्य मसौदे पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह ए. एस. और वाई. एस. द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का मामला बनाता है। वास्तव में,

यदि अंकगणितीय त्रुटियों या ए. एस. और वाई. एस. से संबंधित नहीं संपत्तियों के गलत विवरण से उत्पन्न होने वाली गलत गणनाएं हैं, तो वे जांच में शामिल होने के दौरान इसे इंगित करने के लिए स्वतंत्र हैं।उनके लिए जांच अधिकारी को यह बताने के लिए भी खुला है कि **31** संपत्तियों/संपत्तियों का कोई दमन या खुलासा नहीं किया गया है और यह भी कि उनके द्वारा 'आपराधिक कदाचार' जैसी कोई गतिविधि नहीं की गई है।हालाँकि, उन्होंने इस आधार पर एफ़. आई. आर. को चुनौती देने का फैसला किया कि यह एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है।**[**पारस **54-56] [155-**डी-एच**; 156-**जी-एच**; 157-**ए-बी**]**

ग

डी.

1.2 एफ. आई. आर. के प्रति चुनौती का निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय ने-अनजाने में, भजन लाल में इस प्रभाव के प्रति सावधानी के नोट को ध्यान में नहीं रखा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का उपयोग बहुत संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; इसके अलावा, अदालत को एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू करने में उचित नहीं ठहराया जाएगा; और यह भी कि, असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।जब भी संविधान के अनुच्छेद **226** या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत इसकी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। पी. सी. प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को रद्द करने के लिए, अदालतें उसमें लगाए गए आरोपों की संभावना, विश्वसनीयता या वास्तविकता के रूप में जांच शुरू करना उचित नहीं होगा।इस प्रकार, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई जांच अभी शुरू नहीं हुई है, तो इस बात की कोई जांच नहीं होनी चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप किस हद तक संभावित, विश्वसनीय या वास्तविक हैं और यह भी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संदेह पर दर्ज की जा सकती है, उच्च न्यायालय को यह महसूस करना चाहिए था कि प्राथमिकी, जो उसके अनुसार, "संभावनाओं" पर आधारित थी, को बाधित नहीं किया जाना चाहिए था।आरोपों की गंभीरता के चश्मे के माध्यम से देखा गया, ए की "संभावना" पर आधारित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट

ई.

च

जी.

एच.

137

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ईटीसी ए

"केवल संदेह" पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की तुलना में एक अपराध किया जाना स्पष्ट रूप से उच्च स्तर का होगा कि एक अपराध किया गया है।उच्च न्यायालय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रहा और उसने ठीक वही किया जो उसे इस स्तर पर नहीं करना चाहिए था।सी. बी. आई. परिपत्र के कथित उल्लंघन के लिए एफ. आई. आर. को अमान्य करने का कोई कारण नहीं है।उच्च न्यायालय ने जांच प्रक्रिया में अपने हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया और इस आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने में कानून की त्रुटि की।**[**पारस **58,59,61** और **65] [157-**ई-एफ, जी-एच**; 158-**ई-एच**; 159-**एच**]**

महाराष्ट्र राज्य बनाम ईश्वर पिराजी कल्पत्री **(1996)**

1 एससीसी **542:[1995] 5** पूरक।एस. सी. आर. **812-**पर निर्भर।

ग

1.3 ए. एस. और वाई. एस. द्वारा दायर रिट याचिकाओं में, अभिवचन इस निष्कर्ष को वापस करने के लिए अपर्याप्त हैं कि एफ़. आई. आर. दुर्भावना का परिणाम है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं; हालाँकि, ऐसे आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं।दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने और साबित करने की आवश्यकता है।हालाँकि, उस ओर से कोई नींव नहीं रखी गई है और इसलिए स्वाभाविक रूप से, उच्च न्यायालय ने यह भी जांच नहीं की कि क्या दुर्भावना के आधार पर प्राथमिकी में अपवाद लिया जा सकता था।न तो राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख (निवर्तमान मुख्यमंत्री) और न ही प्रशासनिक कार्यपालिका (मुख्य सचिव) को व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।जिस व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण आरोप लगाया जाता है, उसे कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में आरोपों की कोई जांच नहीं की जा सकती है।जब पुलिस थाने में कोई जानकारी दर्ज की जाती है और आय से अधिक संपत्ति के मामले के संबंध में कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो यह जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अदालत में पेश किए गए साक्ष्य होते हैं जो आरोपी के भाग्य का निर्धारण करने के लिए निर्णायक होते हैं।प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण परिणाम है या नहीं, यह गौण महत्व का होगा।ऐसे मामले में, यदि दुर्भावनापूर्ण आरोप कुछ प्रथम दृष्टया मूल्यवान होते हैं, तो महत्वहीन हो जाएंगे यदि अभियुक्त को मुकदमे के लिए भेजने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की जाती है; इसलिए, दुर्भावनापूर्ण याचिका स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं बन सकती है।यदि आपराधिक अभियोजन पर्याप्त पर आधारित है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

साक्ष्य और वही अन्यथा न्यायोचित है, यह महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के कारण दूषित नहीं होता है।[पारस **71] [161-**ए-जी]

बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा **(1992) 1** पूरक एस. सी. सी. **222:**

[1991] 2 एस. सी. आर. **1-**निर्भर।

1.4 आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवश्यकता के अनुसार, प्रथम दृष्टया, इस धारणा के लिए तत्व होने चाहिए कि पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय "आपराधिक कदाचार" से संबंधित संज्ञेय बाड़ लगाने का संदेह करने और जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण है।पैराग्राफ **49** में जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए और शासन प्रणाली में ईमानदारी बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक प्रदूषकों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, यह विशेष रूप से वांछनीय होगा यदि उच्च न्यायालय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और "भ्रष्टाचार" मामलों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं करते हैं, विशेष रूप से जांच के चरण में, भले ही सत्तारूढ़ व्यवस्था की मजबूत रणनीति के कुछ तत्व स्पष्ट हो सकते हैं।सामान्य दंडात्मक कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने पर लागू होने वाले विचार पी. सी. अधिनियम के अपराध पर लागू नहीं हो सकते हैं।मुख्य रूप से, पी. सी. अधिनियम के तहत मामलों में उच्च न्यायालयों के लिए उचित मार्ग यह होगा कि वे जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दें और पीड़ित पक्ष को उचित स्तर पर कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए उपचार को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दें।यदि किसी भी मामले में हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है, तो वही मामले की विशेष विशेषताओं पर निर्भर होना चाहिए। यद्यपि विशेष विशेषताओं का गठन क्या होगा, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे असाधारण मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां अभिलेख किसी लोक सेवक द्वारा अपनी सेवा की अवधि के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के उचित संदेह का समर्थन करने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री प्रकट नहीं करते हैं और ऐसे सेवक को जांच के अधीन करने के लिए दुर्भावना के अलावा और कुछ नहीं है।दुर्भावनापूर्ण आधार पर भी

वर्तमान मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं हैं।विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।**[**पारस **74-76] [162-D-H; 163-A, C-D] A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

139

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ईटीसी ए

ललिता कुमारी बनाम सरकार। उत्तर प्रदेश **(2014)** में से **2** एस**.** सी**.** सी**. 1:[2013]**

14 एस**.** सी**.** आर**. 713-**अनुसरण किया गया।

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य। **(1992) 1** पूरक।

एससीसी 335:[1990] 3 पूरक।एससीआर 259; सी. बी. आई. और ओ. आर. एस. बनामतपन कुमार सिंह (2003) 6 एस. सी. सी. 175:[2003] 3 एससीआर 485-पर निर्भर।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य। **(2011) 4** एससीसी

324 :[2011] 4 एस. सी. आर. 1176; निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर

प्रा**.** लि**.** बनाममहाराष्ट्र राज्य और अन्य। **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 325;** केंद्रीय जांच ब्यूरो और ए**.** एन**.** आर**.** बनामथोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी **@**टी**.** एच**.**

ग

विजयलक्ष्मी और अन्र। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 923; आर.

पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य [1960] 3 एस. सी. आर. 388; राजेश बजाज बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (1999) 3 एस. सी. सी. 259:[1999]

1 एस**.** सी**.** आर**. 1012-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

[2003] 3 एससीआर **485**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

[2011] 4 पैरा **19 [1960] 3** एस**.** सी**.** आर**. 388** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 1176**

पैरा **25** को संदर्भित किया गया

ई.

[1960] 3 एससीआर **388**

पैरा **25 [1990] 3** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 259** ने पैरा **26 [1999] 1** एस**.** सी**.** आर**. 1012** पर भरोसा किया**,** जिसे पैरा **51 [2013] 14** एस**.** सी**.** आर**. 713** के बाद पैरा **51 [1995] 5** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 812** पैरा **59 [1991] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1** पर निर्भर था।

च

पैरा **72** को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 646-648।

जी.

2020 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. संख्या 88,154 और 206 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 10.01.2022 के निर्णय और आदेश से।सह

2023 की आपराधिक अपील संख्या 649।

एच.

140

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

संजय आर. हेगड़े, कपिल सिब्बल, महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अरुण कुमार जैसवाल, प्रांजल किशोर, गौतम नारायण, संजीवी शेषाद्री, अपूर्व कुरुप, ओजस्वा पाठक, सुश्री निधि मित्तल, सुश्री श्वेता भारद्वाज, सुश्री अपर्णा अरुण, रवि शर्मा, अंजनी कुमार राय, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता

अनुमति प्रदान की गई।

2. ये 5 (पाँच) अपीलें, अन्य बातों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ राज्य (इसके बाद 'राज्य', संक्षेप में) और श्री उचित शर्मा (इसके बाद 'यू. एस.', संक्षेप में) के उदाहरण पर हैं।अपीलकर्ता बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10 जनवरी, 2022 के एक सामान्य निर्णय और आदेश पर सवाल उठाते हैं, जिसमें 3 (तीन) रिट याचिकाओं [2020 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88,2020 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. 154 और 2020 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. 206] का निपटारा किया गया था। श्री अमन सिंह द्वारा प्रस्तुत 2020 का डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88 (इसके बाद 'ए. एस.', संक्षेप में), राज्य के आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'पी. सी. अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 13 (1) (बी) और (2) के तहत 25 फरवरी, 2020 (इसके बाद 'एफ. आई. आर.', संक्षेप में) की एफ. आई. आर. संख्या 9/2020 को रद्द करके अनुमति दी गई थी।ए. एस. की पत्नी श्रीमती द्वारा 2020 का डब्ल्यू. पी. सी. आर. 154 स्थापित किया गया। यास्मीन सिंह (इसके बाद संक्षेप में 'वाई. एस.') को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।पति-पत्नी 2020 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. 206 में संयुक्त याचिकाकर्ता थे, जिसकी भी अनुमति दी गई थी।

ग

डी.

ई.

3. अमेरिका द्वारा 11 अक्टूबर, 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।इसमें आरोप लगाया गया था कि ए. एस. [एक भारतीय राजस्व सेवा (आई. आर. एस.) अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव], उनकी पत्नी वाई. एस., [छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सलाहकार, जिन्होंने 14 नवंबर, 2005 से 31 मार्च, 2015 तक छत्तीसगढ़ सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में संचार और क्षमता विकास इकाई (सी. सी. डी. यू.) के निदेशक के रूप में अनुबंध पर काम किया था, और निदेशक, आई. सी. ई. और क्षमता निर्माण विभाग के रूप में काम किया था।1 अप्रैल, 2015 से 10 दिसंबर, 2018 तक छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और उनका परिवार भ्रष्टाचार और धन शोधन में शामिल थे और उनके पास ऐसी संपत्ति भी थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

च

जी.

एच.

141

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

क.

4. शिकायत मिलने पर, मुख्यमंत्री ने एक हस्तलिखित आदेश द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।हालाँकि, "14 वीं ओ. सी. टी., 2019" की तारीख मुख्यमंत्री के हस्तलिखित आदेश के ठीक ऊपर दिखाई देती है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ऐसा आदेश 14 अक्टूबर, 2019 को दिया था या 15 अक्टूबर, 2019 को।

5. चाहे जो भी हो, 21 अक्टूबर, 2019 के एक अग्रेषण पत्र के माध्यम से, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (इसके बाद 'जी. ए. डी.', संक्षेप में) द्वारा शिकायत को आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इसके बाद 'ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू.', संक्षेप में) को उसमें लगाए गए आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से भेजा गया था।21 अक्टूबर, 2019 के उक्त पत्र को आगे बढ़ाते हुए, ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. ने सं. P.E.35 2019। 6.इन घटनाक्रमों से पहले, वाई. एस. ने एक रिट याचिका [डब्ल्यू. पी.] स्थापित करके उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था। (एस) 6521/2019], अनिवार्य रूप से उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर सवाल उठाते हैं।उन्होंने 10 मई, 2019 के एक आदेश को रद्द करने और/या रद्द करने के लिए प्रार्थना की थी, जिसके तहत जी. ए. डी. ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की जांच 12 अप्रैल, 2019 को विकास तिवारी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रवक्ता) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी।P.E.35 2019 की शुरुआत के साथ, 21 अक्टूबर, 2019 के पत्र के संदर्भ में, YS ने उस पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आवेदन (I.A.04/2020) दायर किया।16 जनवरी, 2020 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य को 21 अक्टूबर, 2019 के पत्र के अनुसार उसके पूर्वाग्रह के लिए कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया।16 जनवरी, 2020 का आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, 21 अक्टूबर, 2019 के पहले के आदेश को संदर्भित करता है, जो हालांकि, रिकॉर्ड में नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

7. ऊपर निर्दिष्ट जी. ए. डी. के 21 अक्टूबर, 2019 के पत्र को भी ए. एस. द्वारा 29 जनवरी, 2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020] दायर करके चुनौती दी गई थी।ऐसी रिट याचिका में, ए. एस. ने

अदालत से आग्रह किया कि वह उक्त पत्र को रद्द करने के साथ-साथ P.E.No.35/2019 सहित राज्य द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी कदम/कार्रवाई के लिए 21 अक्टूबर, 2019 के पत्र से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को पेश करने का आदेश पारित करे।

जी.

8. डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020 के लंबित रहने के दौरान, ए. एस. और वाई. एस. के खिलाफ ए. आई. आर. दर्ज की गई थी।

एच.

9. एफ. आई. आर. दर्ज होने के कुछ दिनों के भीतर, 28 फरवरी, 2020 को सटीक होने के लिए, ए. एस. ने एफ. आई. आर. को चुनौती देने के लिए डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020 के संशोधन के लिए आवेदन किया। उन्होंने एफ. आई. आर. के प्रभाव/संचालन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत के लिए भी आवेदन किया था।

10. वाई. एस. ने भी 2 मार्च, 2020 को डब्ल्यू. पी. सी. आर. 154/2020 की स्थापना की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए एक आदेश की मांग की गई।

11. 28 फरवरी, 2020 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संशोधन के लिए आवेदन को अनुमति दी और यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक ए. एस. के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।

12. 15 अप्रैल, 2020 को ए. एस. और वाई. एस. द्वारा संयुक्त रूप से डब्ल्यू. पी. सी. आर. 206/2020 की स्थापना की गई थी, जिसमें न्यायालय के सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के तुरंत बाद अंतिम सुनवाई के लिए डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020 और डब्ल्यू. पी. सी. आर. 154/2020 को सूचीबद्ध करने के लिए उचित आदेश की मांग की गई थी (जिसे तब कोविड-19 के कारण महामारी के कारण कम कर दिया गया था) और साथ ही ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड को निर्देश देने में कार्रवाई की घोषणा करने वाले आदेश के लिए, प्रतिवादी नं.5, ए. एस. के वेतन खाते में जमा धन पर रोक लगाना, जिसे शून्य और अवैध माना जाए।

ग

डी.

13. हमें इस स्तर पर ए. एस. को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने की मध्यवर्ती घटनाओं के साथ-साथ समय-समय पर रिट याचिकाओं पर पारित अंतरिम आदेशों का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि 6 सितंबर, 2021 के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि ए. एस. और वाई. एस. की आय के संबंध में विवाद था और ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. को केस डायरी के साथ-साथ आय और व्यय को दर्शाने वाले सारणीबद्ध रूप में आंकड़े अदालत द्वारा अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्या आय असमान है या नहीं।

ई.

14. इस तरह के आदेश का सामना करते हुए, राज्य ने केस डायरी और आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में पेश करने के लिए छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया और साथ ही 28 फरवरी, 2020 के पहले के आदेश को हटाने के लिए आवेदन किया, जिसमें ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. को ए. एस. के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया गया था। इन आवेदनों का भाग्य अभिलेखों से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है।हालाँकि, 10 जनवरी, 2022 के विवादित फैसले और आदेश में दर्ज कारणों के लिए, उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020 को अनुमति देते हुए एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया। एफ. आई. आर. को रद्द किए जाने के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने माना कि एफ. आई. आर. के संबंध में डब्ल्यू. पी. सी. आर.

154,2020 में वाई. एस. द्वारा मांगी गई राहत ने अपना महत्व खो दिया था।हालाँकि, अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत मूल शिकायतकर्ता यू. एस. और जांच अधिकारी जे. पी. कुजुर पर मुकदमा चलाने के वाई. एस. के अनुरोध को खारिज कर दिया। इस प्रकार, डब्ल्यू. पी. सी. आर. 154/2020 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।जहाँ तक डब्ल्यू. पी. सी. आर. 206/2020 का संबंध है, न्यायालय ए.

च

जी.

एच.

143

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

पैराग्राफ 70 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:“70. चूंकि इस न्यायालय ने 2020 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. संख्या 88 की सुनवाई करते हुए पहले ही पुलिस स्टेशन-ई. ओ. डब्ल्यू./ए. सी. बी., जिला-रायपुर (सी. जी.) में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 09/2020 को रद्द कर दिया है, इसलिए इस याचिका में मांगी गई राहत ने अपना महत्व खो दिया है और याचिकाकर्ता संख्या 1 का बैंक खाता संख्या 50100 28338 9868 2020 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. संख्या 88 में एफ. आई. आर. को रद्द करने के बाद निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए आगे कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।"15. चूंकि, उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया है और हमें विवादित फैसले की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए कहा जाता है, इसलिए हम प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान देने के बाद एफ. आई. आर. के सामग्री भागों को संदर्भित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ग

16. राज्य द्वारा दायर अपीलों के समर्थन में पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए कानूनी सीमा का उल्लंघन करके प्राथमिकी को रद्द करने में कानून की घोर त्रुटि की है।निर्णय पर निर्भरता रखना

डी.

सी**.** बी**.** आई**.** और अन्य में इस न्यायालय का। बनाम तपन कुमार सिंह **1,** उन्होंने तर्क दिया

कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए; जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि दी गई जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए और इस तरह दर्ज की गई जानकारी को पुलिस को संज्ञेय अपराध के होने का संदेह करने के लिए आधार प्रदान करना चाहिए।प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के चरण में, दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी को एक संज्ञेय अपराध के होने का संदेह करना होता है, न कि उसे आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है।यदि उसके पास प्राप्त जानकारी के आधार पर संदेह करने के कारण हैं कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया हो सकता है, तो वह जानकारी दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है, बिना उसके लिए जानकारी की सच्चाई के बारे में खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है।

ई.

च

17. श्री सिब्बल के अनुसार, जब संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती थी, तो वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने में कानूनी रूप से गलती की कि यह "संभावनाओं" पर आधारित थी। विवादित फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय अपनी सीमाओं को पार करे।

जी.

1 (2003) 6 एससीसी 175

एच.

144

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

18. श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, ए. एस. ने 25 फरवरी, 2020 को दर्ज की गई प्राथमिकी के कुछ दिनों बाद इसे चुनौती दी और उच्च न्यायालय से इस आशय का आदेश प्राप्त किया कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।इस तरह के आदेश के साथ, ए. एस. नोटिस जारी होने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ।जाँच पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं था।भले ही जाँच आगे बढ़ गई हो, गिरफ्तारी का कोई आसन्न डर नहीं था।यदि वास्तव में, ए. एस. और वाई. एस. के पास आर्थिक संसाधनों और संपत्ति के लिए संतोषजनक रूप से लेखांकन करने के लिए कागजात और दस्तावेज हैं और यह कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति नहीं है, तो ऐसे कागजात और दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए जा सकते हैं जिससे वह यह अभिनिर्धारित कर सकता है कि यू. एस. द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कोई सार नहीं है, और फिर कानून के अनुसार विचार करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष एक उचित समापन रिपोर्ट दायर कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण जांच अधिकारी प्रभावी ढंग से और सार्थक रूप से जांच के साथ आगे नहीं बढ़ सके, जिसके परिणामस्वरूप जांच प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।19. इसके बाद श्री सिब्बल ने निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

ग

डी.

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य में यह न्यायालय। **2** और निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा**.** लि**.** लि**.** बनाम महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। 3, इस तर्क के समर्थन में कि जब पुलिस द्वारा जांच चल रही हो, तो अदालतों को प्राथमिकी में आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए; इसके विपरीत, पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।यह भी तर्क दिया गया कि यदि जांच के बाद जांच अधिकारी को शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई सार नहीं मिलता है, तो वह कानून के अनुसार उचित विचार के लिए संबंधित अदालत के समक्ष उचित समापन रिपोर्ट दायर करने के लिए बाध्य है; हालाँकि, कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है।

ई.

च

20. श्री सिब्बल ने इस प्रकार प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और प्राथमिकी की जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दी जाए।

जी.

21. दूसरे अपीलार्थी यानी अमेरिका के वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करते हुए स्पष्ट रूप से गलत परीक्षण लागू किया। उनके अनुसार, एक प्रथम-चेहरे का परीक्षण

2 (2011) 4 एस. सी. सी. 324

एच.

3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325 ए.

145

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

या संभावित मामले को केवल आरोप तय करने के समय दिखाने की आवश्यकता होती है; हालाँकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ने के लिए, केवल यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, जब अंकित मूल्य पर ली जाती है, तो एक अपराध बन जाती है।

22. श्री हेगड़े ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए एक लघु-परीक्षण किया कि ए. एस. और वाई. एस. के खिलाफ प्राथमिकी में कोई अपराध नहीं किया गया है, जिसे इस न्यायालय ने बार-बार अभिनिर्धारित किया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही में संचालित नहीं किया जा सकता है।प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के अनुरोध पर विचार करने के चरण में, अभियुक्त के संभावित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ग

23. उच्च न्यायालय द्वारा 6 सितंबर, 2021 को पारित अंतरिम आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री हेगड़े ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद नहीं की जा सकती थी।

डी.

24. केंद्रीय ब्यूरो में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए

जाँच और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी **@**

टी. एच. विजयलक्ष्मी और अन्र। 4, श्री हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की गई इसी तरह की कवायद को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार्य माना गया था।

ई.

25. आर**.** पी**.** कपूर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। पंजाब राज्य **5**

और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य। **6** के लिए अगला उल्लेख किया गया था

उन मामलों की श्रेणियों पर प्रकाश डालते हुए जहां उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए; हालाँकि, ए. एस. और वाई. एस. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, श्री हेगड़े ने तर्क दिया कि अदालत को हस्तक्षेप करने से इनकार कर देना चाहिए था।

च

26. श्री हेगड़े ने आगे इस प्रस्ताव के लिए राजेश बजाज बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)] 7 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया कि यदि शिकायत में अपराध की तथ्यात्मक नींव रखी गई है, तो अदालत को जांच चरण के दौरान आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो घटकों के साथ नहीं कहा गया है।

जी.

4 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 923 5 (1960) 3 एससीआर 388

6 1992 एसयूपीपी। (1) एससीसी 335 7 (1999) 3 एससीसी 259

विवरण।उनके अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना एक ऐसा कदम है जिसकी अनुमति केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में दी जाती है जैसे कि शिकायत में दी गई जानकारी बुनियादी तथ्यों से भी रहित होनी चाहिए जो अपराध का पता लगाने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. में शिकायत किए गए अपराधों के बारे में निश्चित विवरण हैं।इसके अलावा, एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले की गई प्रारंभिक जांच में ए. एस. की आय के 20 प्रतिशत की आय से अधिक संपत्ति का पता चला है; इसलिए, यह एक उचित मामला नहीं था जिसमें एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए था।

27. समापन करते हुए, श्री हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के सुव्यवस्थित मापदंडों से परे जाकर, विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

ग

28. ए. एस. और वाई. एस. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी ने अपीलों का विरोध किया।उच्च न्यायालय के पक्ष में आने वाली दलीलों को दोहराते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि ए. एस. या वाई. एस. द्वारा किसी भी संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया खुलासा नहीं करने वाली ए. आई. आर. की जांच कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी और ए. एस. और वाई. एस. को जांच में शामिल होने के लिए मजबूर करना अनुचित और अनावश्यक उत्पीड़न के बराबर होगा।29. एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, श्री जेठमलानी ने हमें प्रभावित करने की कोशिश की कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया है, तब से ए. एस. और वाई. एस. नई व्यवस्था के निशाने पर रहे हैं।पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एएस और वाईएस को गलत तरीके से फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। प्रारंभ में 10 मई, 2019 के एक आदेश के माध्यम से वाई. एस. के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई थी और 21 अक्टूबर, 2019 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने वाई. एस. को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, 11 नवंबर, 2009 को ए. एस. और वाई. एस. के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए आगे की कार्रवाई की गई थी।इसके अलावा, काफी शरारतपूर्ण तरीके से, उसी को निष्फल बनाने के लिए डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88/2020 के लंबित रहने के दौरान अचानक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई।

डी.

ई.

च

जी.

30. इसके बाद श्री जेठमलानी ने तर्क दिया कि एफ. आई. आर. के एक नंगे अवलोकन से 'चेक अवधि' का खुलासा नहीं होने का पता चलेगा जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक अनिवार्य शर्त है।इसके अलावा, एफ. आई. आर. ने पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (बी) के तहत अपराध स्थापित करने के बुनियादी तत्वों का खुलासा नहीं किया। ए. आई. आर.

एच.

कथित निवेश की सीमा का न तो आंकड़ों में और न ही प्रतिशत में खुलासा किया।

31. टी. एच. विजयलक्ष्मी (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए, श्री जेठमलानी का यह दिखाने का प्रयास था कि उस मामले में जांच एजेंसी ने उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में असमानुपातिकता की सीमा को सारणीबद्ध रूप में, रुपये और प्रतिशत में निर्धारित/निर्दिष्ट किया था।इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती नहीं की जब उसने राज्य से 6 सितंबर, 2021 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा न्यायालय द्वारा अवलोकन के लिए आय और व्यय को दर्शाने वाले मामले की डायरी के साथ-साथ सारणीबद्ध रूप में आंकड़े पेश करने की मांग की।

32. श्री जेठमलानी ने आगे आग्रह किया कि एफ. आई. आर. दर्ज करने को सही ठहराने के लिए कोई भी सामग्री इस तथ्य से सामने नहीं आती है कि राज्य ने 6 सितंबर, 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने से छूट के लिए आवेदन किया था।

ग

33. इसके बाद श्री जेठमलानी ने तर्क दिया कि भविष्य में कुछ और परिसंपत्तियों को खोजने की सरासर अनुमानात्मक संभावना पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट पूरी तरह से अस्वीकार्य है।उनके अनुसार, कानून अच्छी तरह से तय है कि केवल संभावना का उल्लेख राज्य के ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने का अधिकार नहीं देगा।जब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, संभावनाओं पर आधारित ऐसी रिपोर्ट जादू-टोना शिकार और परिणामस्वरूप उत्पीड़न का एक उपकरण बन जाएगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन होगा।यह भी तर्क दिया गया कि ए. एस. और वाई. एस. के बीच आपराधिक साजिश का एक आकस्मिक आरोप है, जिसमें इसके मूल तत्वों के बारे में कोई कानाफूसी नहीं की गई है।

डी.

ई.

34. श्री जेठमलानी ने आगे तर्क दिया कि भले ही यह माना जाता है कि 2004 से 2018 तक की जाँच अवधि है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राज्य और उसके अधिकारियों का उद्देश्य ए. एस. और वाई. एस. को बदनाम करना है।

च

35. श्री जेठमलानी का यह भी तर्क था कि कोई भी असमानुपात नहीं रहा है, जो शिकायत में अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों या उस मामले के लिए प्राथमिकी की जांच की गारंटी देगा, और उच्च न्यायालय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने हस्तक्षेप में सही था।

जी.

36. उत्तरदाताओं के इस तर्क को कि उच्च न्यायालय ने एक 'गैर-मौजूद कानूनी परीक्षण' लागू किया था, इसे पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया गया।विवादित निर्णय के अंशों को संदर्भित किया गया था,

एच.

यह दर्शाइए कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष को वापस करने में कैसे सही था कि एफ. आई. आर. में किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था जो इसे प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी बनाता है।

37. समापन करते हुए, श्री जेठमलानी ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है और कोई 'वैध अभियोजन' नहीं होने के कारण, इसे उचित रूप से रद्द कर दिया गया है और विवादित फैसले द्वारा दरकिनार कर दिया गया है; इसलिए, अपीलों को खारिज किया जा सकता है।38. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए दुर्भावनापूर्ण आधार नहीं दिया। हमारे सामने सुनवाई के दौरान, श्री जेठमलानी ने दुर्भावनापूर्ण मामला खड़ा करने का प्रयास किया कि कैसे निवर्तमान मुख्यमंत्री ने ए. एस. को एक 'सुपर सीएम' माना और यह भी कि ए. एस. राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो गया है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच क्रॉसफायर में फंस गया है।भजन लाल (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 102 के खंड (7) का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालयों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है।

ग

कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

डी.

39. श्री हेगड़े ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में इस आशय की कोई दलीलें नहीं हैं और इसलिए, एक नए मामले को दलीलों के आधार पर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।श्री जेठमलानी की तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि रिट याचिकाएं दुर्भावनापूर्ण आरोपों से भरी हुई हैं, जो वाई. एस. के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के साथ-साथ विभागीय जांच का आधार बनती हैं।

ई.

च

40. फैसला सुरक्षित रखने से पहले, हमने श्री जेठमलानी को कुछ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के भीतर दलीलों के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दी थी, जिन्हें वे उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष दलीलों का हिस्सा नहीं होने के बावजूद दाखिल करना चाहते थे।

41. आर/1 ए से आर/1 के तक के अनुलग्नक के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के साथ लिखित टिप्पणियों पर विचार किया गया है।

जी.

42. लिखित टिप्पणियों के भाग 1 में, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद संक्षेप में 'सी. बी. आई.') के परिपत्र संख्या <आई. डी. 1 का संदर्भ दिया गया है।यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान ए में एफ. आई. आर.

एच.

149

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

मामला, सी. बी. आई. द्वारा परिपत्र संख्या 29/2020 (इसके बाद संक्षेप में 'सी. बी. आई. परिपत्र') में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।भाग II इस तर्क के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि एफ़. आई. आर. में तथ्यों के रूप में कई बयान हैं, जो राज्य के ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. की जानकारी के लिए गलत थे।तीसरा और अंतिम भाग एफ. आई. आर. में "मनगढ़ंत और हेरफेर" के लिए समर्पित है जो ए. एस. के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था, जो पिछले शासन में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे।43. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने आपराधिक अपीलों का उल्लेख किया और इस आधार पर निर्णय सुरक्षित रखने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया कि ए. एस. और वाई. एस. द्वारा निर्देश के लिए एक आवेदन दायर करने की प्रक्रिया चल रही थी और इन अपीलों पर निर्णय सुनाए जाने से पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए।मौखिक रूप से, हमने उचित समय पर विचार करने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी।

ग

44. यह आवेदन, जो तब से 20 जनवरी, 2023 को दायर किया गया है, कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों और छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों के बीच कथित रूप से आदान-प्रदान किए गए वॉट्सऐप संदेशों/चैट का उल्लेख करता है और इसके आधार पर यह तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णायक सामग्री मौजूद है जो यह स्थापित करती है कि ए. एस. और वाई. एस. के खिलाफ ए. आई. आर. श्री अनिल टुटेजा और राज्य के अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के कहने पर दर्ज की गई है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के कहने पर है।चूंकि इस तरह के आवेदन द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि ए. एस. और वाई. एस. की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का वास्तविक कारण राजनीतिक प्रतिशोध है, इसलिए यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान कार्यवाही के न्यायसंगत निपटारे के लिए इस न्यायालय द्वारा सभी सबूतों को तलब किया जाना चाहिए।इस तरह के आवेदन में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ शामिल हैं:

डी.

ई.

च

"प्रार्थना करें

ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस पर प्रसन्न हो सकता है:

जी.

क) नए तथ्यों और सामग्रियों को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश, जैसा कि 18.01.2023 की समाचार रिपोर्ट से सामने आया है (शीर्षक "द

छत्तीसगढ़ फाइल:डॉक्स, चैट से पता चलता है कि कैसे मुख्य आरोपी स्वयं एनएएन घोटाले की जांच का 'प्रबंधन' कर रहा था, बघेल ने वेब समाचारों में 'रमन सिंह, अन्य लोगों को फंसाने के लिए' हिट लिस्ट जारी की)

पोर्टल डब्ल्यू. डब्ल्यू.ऑपइंडिया।कॉम और वर्तमान में आगे की सुनवाई

एच.

मामला; और/या

बी) प्रवर्तन निदेशालय से प्रतिवादी संख्या 1 और 4 को फंसाने की साजिश से संबंधित 'वॉट्सऐप' चैट से संबंधित रिकॉर्ड को बुलाने का निर्देश; और/या

ग) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 11.10.2019 पर की गई शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ता-राज्य के EOW/ACB द्वारा शुरू की गई 2019 की संख्या 35 वाली प्रारंभिक पूछताछ के रिकॉर्ड को बुलाने का निर्देश; और/या

घ) डब्ल्यू. पी. के साथ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को टैग करने का निर्देश। (सीआरएल)

2021 का सं. 506 जिसका शीर्षक 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम अनिल टुटेजा' है।

& या 'इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित; और/या

ङ) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे अन्य या आगे के आदेश (आदेश) पारित करें।"

45. हमने पक्षों को सुना है, अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है, और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया है।

डी.

46. उच्च न्यायालय, एफ. आई. आर. के अवलोकन और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के साथ-साथ बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने पर, जो विवादित निर्णय में दर्ज किए गए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः- "49. एफ. आई. आर. के नंगे अवलोकन से, आय से अधिक आय का आरोप लगाया जाता है या नहीं, इस न्यायालय के लिए यह जांच करना समीचीन है कि एफ. आई. आर. की सामग्री के नंगे अवलोकन से, अपराध किया गया है या नहीं, तभी इस न्यायालय द्वारा एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।इसलिए, यह देखना होगा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।इस न्यायालय ने पूर्वगामी पैराग्राफ में व्यापक रूप से एफ़. आई. आर. का हवाला दिया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एफ़. आई. आर. असमान आय के संबंध में संभावनाओं पर आधारित है।एफ. आई. आर. आय से अधिक आय की मात्रा के संबंध में मौन है, जो अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए फंसाने में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए सर्वोपरि कारक है।ये बुनियादी तत्व एफ़. आई. आर. के खाली अवलोकन से प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

ई.

च

जी.

***

56. एफ़. आई. आर. में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के नाम पर विभिन्न संपत्तियाँ होने की संभावना है।ए. आई. आर.

एच.

151

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

आगे कहा गया है कि इस बात की उचित संभावना है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के लिए खुद को निवेश किया है और यह भी कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि उसकी पत्नी के बैंक खाते में बड़ी राशि जमा की जा रही है।एफ. आई. आर. कहीं भी निश्चित तथ्यों और आंकड़ों के साथ किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है।एफ. आई. आर. संभावनाओं पर आधारित है।अधिनियम, 1988 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (बी) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित करना अभियोजन पक्ष का काम है, जो कि प्राथमिकी में प्रतिबिंबित होता है, जो अभियोजन की शुरुआत है, तभी, प्राथमिकी में उल्लिखित अपराध की जांच के लिए अभियोजन शुरू किया जा सकता है। एफ. आई. आर. में किए गए किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, केवल संभावना पर, याचिकाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।एफ. आई. आर. उचित शर्मा नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी आय से अधिक संपत्ति के उजागर होने के डर से छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत रहते हुए एक भी ए. पी. आर. दायर नहीं किया है।यह भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के सभी आचरण नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता पर विभाग के साथ एपीआर जमा नहीं करने के लिए अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (बी) के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।एफ. आई. आर. इस तथ्य का खुलासा नहीं कर रही है कि सरकार के साथ ए. पी. आर. का खुलासा नहीं करते हुए भी याचिकाकर्ता ने 2004 से 2018 की अवधि के दौरान कितनी आय अर्जित की है।"

ग

डी.

ई.

47. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में जो निर्णय दिया है, उससे सीमित, निर्णय के लिए जो छोटा सवाल उभरता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने में उचित ठहराया गया था। 48.श्री जेठमलानी द्वारा उठाई गई दुर्भावनापूर्ण याचिका और ए. एस. और वाई. एस. की ओर से दायर निर्देशों के लिए आवेदन की सामग्री को देखते हुए हमें जिस अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है, वह यह है कि क्या और किस हद तक एक अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगी। पी. सी. ', संक्षेप में) पी. सी. अधिनियम की धारा 13 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना उचित होगा, जबकि पुलिस एक लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करती है, विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 102 के खंड (7) में जो निर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए।

च

जी.

भजन लाल (ऊपर) में।

एच.

49. हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिससे उपरोक्त दो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, एक खतरनाक और परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान देते हुए जो स्पष्ट रूप से हमें अंतहीन परेशान करती है।यद्यपि धन के समान वितरण को प्राप्त करने का प्रयास करके भारत के लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना संविधान का प्रारंभिक वादा है, फिर भी यह एक दूर का सपना है।यदि मुख्य नहीं है, तो इस क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख बाधाओं में से एक निस्संदेह 'भ्रष्टाचार' है।भ्रष्टाचार एक बीमारी है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है।यह अब शासन की गतिविधियों के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है; अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिकों का कहना है कि यह किसी के जीवन का एक तरीका बन गया है।वास्तव में, यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि न केवल एक ओर हमारे संविधान के संस्थापकों के उच्च आदर्शों को दृढ़ता से आगे बढ़ाने में लगातार गिरावट आ रही है, बल्कि दूसरी ओर समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण तेजी से बढ़ रहा है।भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है।''लालच', जिसे हिंदू धर्म में सात पापों में से एक माना जाता है, अपने प्रभाव में प्रबल रहा है।वास्तव में, धन के लिए अतृप्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है।यदि भ्रष्ट कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता पकड़े जाने के डर को भी खत्म कर देती है।वे एक घमंड के तहत आनंद लेते हैं कि नियम और विनियम विनम्र मनुष्यों के लिए हैं न कि उनके लिए।उनके लिए पकड़ा जाना पाप है।आश्चर्य की बात नहीं है कि घोटालों का प्रकोप आमतौर पर देखा जाता है।इसके बाद होने वाली जांच/पूछताछ अधिक परेशान करने वाली है।अक्सर, ये गलत होते हैं और स्वयं घोटालों की तुलना में बड़े घोटालों के अनुपात को मानते हैं। लेकिन क्या इस स्थिति को जारी रहने दिया जाना चाहिए?भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और उन्हें उचित रूप से दंडित करना पी. सी. अधिनियम का अधिदेश है। "हम लोग", अपने संविधान को अपनाने के साथ, संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के अनुरूप विश्वास और जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों से बहुत उच्च मानकों की उम्मीद करते थे।अफसोस की बात है कि यह संभव नहीं हुआ है क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, 'जनता की सेवा' के लिए सार्वजनिक सेवा में शामिल व्यक्तियों के एक छोटे से वर्ग ने निजी हित को किसी भी चीज़ से ऊपर रखा है और इस प्रक्रिया में, राष्ट्र की कीमत पर आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में धन जमा नहीं किया है।यद्यपि भ्रष्टाचार के कैंसर को बढ़ने और विकसित होने से रोकने के लिए एक उचित कानून है, जिसके लिए दस साल के कारावास के रूप में अधिकतम सजा निर्धारित की गई है, इसे पर्याप्त मात्रा में रोकना, इसे समाप्त

करना बहुत कम है, न केवल मायावी है, बल्कि वर्तमान समय में अकल्पनीय है।चूँकि परियों की कहानियों की तरह कोई जादू की छड़ी मौजूद नहीं है, जिसका एक स्विश लालच को मिटा सकता है, इसलिए संवैधानिक न्यायालयों को ए देना पड़ता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

153

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

राष्ट्र के लोगों का कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाएं और अपराध के अपराधियों के खिलाफ भारी कार्रवाई करें, साथ ही उन निर्दोष लोक सेवकों को बचाएं, जो दुर्भाग्य से पर्दे के पीछे से गलत उद्देश्यों और/या निहित स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए संदिग्ध आचरण के लोगों से उलझ जाते हैं।निस्संदेह, यह कार्य कठिन है, लेकिन भूसी से अनाज की छान-बीन करके इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।हम चर्चा को भविष्य में बेहतर समय की तीव्र आशा के साथ यहाँ छोड़ते हैं।

50. जहाँ तक विवाद के गुण-दोष का संबंध है, हमें अनिवार्य रूप से पी. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के साथ शुरुआत करनी चाहिए। "लोक सेवक" को धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है।यह विवादित नहीं है कि ए. एस. के साथ-साथ वाई. एस. को इस तरह के अर्थ में समझा जाता है।पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) "आपराधिक दुराचार" को परिभाषित करती है।एक लोक सेवक को आपराधिक दुराचार का अपराध करने के लिए कहा जाता है यदि (ए) वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करता है या अन्यथा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी भी संपत्ति या लोक सेवक के रूप में अपने नियंत्रण में किसी भी संपत्ति का धर्मांतरण करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, या (बी) वह जानबूझकर अपने पद की अवधि के दौरान अवैध रूप से खुद को समृद्ध करता है।इस प्रकार, एक लोक सेवक द्वारा अपने पद की अवधि के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से समृद्ध करना एक आपराधिक कदाचार है।धारा 13 (1) में दो स्पष्टीकरण हैं। पहला स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के लिए माना जाएगा यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे में है या उसके कब्जे में है, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है।दूसरी व्याख्या "आय के ज्ञात स्रोतों" को किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय के रूप में परिभाषित करती है।इस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वह एक लोक सेवक होना चाहिए।उसे अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, स्वयं या अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, आय के ज्ञात स्रोतों से असमान आर्थिक संसाधन या संपत्ति के कब्जे में पाया जाना चाहिए।यदि वह इसके लिए संतोषजनक रूप से जवाब देने में असमर्थ है, तो वह आपराधिक दुराचार करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि आरोप ऐसी अवधि के लिए साबित होता है, जैसा कि उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है, तो उपयुक्त रूप से दंडित और जुर्माना लगाया जाएगा।निस्संदेह, यह एक अनुमानित निष्कर्ष है, लेकिन यह निष्कर्ष तीन तथ्यों पर आधारित है, अर्थात् (i) लोक सेवक होने के नाते, (ii) यदि अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, वह स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से, अपने ज्ञात स्रोतों से असमान आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे में रहा है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

आय का, तब (iii) उसे उसी के लिए संतोषजनक लेखा देने का आदेश दिया जाता है।आपराधिक दुराचार का अपराध एक लोक सेवक द्वारा किया जाता है यदि (ii) साबित हो जाता है और (iii) नहीं होता है।इसलिए, यदि पी. सी. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत अभियोजन शुरू किया जाता है और आरोप मुकदमे में साबित हो जाता है, तो संबंधित लोक सेवक उसकी उप-धारा (2) के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है।

51. देश का कानून किसी भी लोक सेवक को अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के लिए घृणा करता है।ऐसे लोक सेवक की संपत्ति में वृद्धि संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य आचरण के समान है और इस तरह के आचरण को पी. सी. अधिनियम की जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने

ग

ललिता कुमारी बनाम में निर्णय। यू. पी. 8 की सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, निरीक्षण करते हुए

कि जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे, उन मामलों को भी वर्गीकृत किया जाएगा (हालांकि पूरी तरह से नहीं) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है और ऐसी श्रेणी में 'भ्रष्टाचार के मामले' शामिल किए जा सकते हैं।हमारा मानना है कि आय से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण की शिकायत में प्रारंभिक जांच या जांच अनिवार्य हो जाती है, न केवल आरोपी लोक सेवक के हित की रक्षा के लिए, यदि ऐसी शिकायत किसी दुर्भावना के साथ दर्ज की गई थी, बल्कि आय से अधिक संपत्ति की मात्रा का उचित आकलन करने के लिए भी, यदि इस शिकायत में कुछ सार है।

डी.

ई.

52. विचाराधीन प्रकार के मामले के संबंध में, विशेष रूप से जब यू. एस. की शिकायत की प्रारंभिक जांच के अनुसार एफ. आई. आर. दर्ज की गई है और यह अपने प्रारंभिक चरण में है, तो यह एक जांच के क्रम में है कि सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है और संबंधित लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों के कब्जे या संपत्ति या संपत्ति के अधिग्रहण के ऐसे आवश्यक साक्ष्य के आधार पर कि एक पुलिस धारा 173 (2), आई. पी. आर. के तहत रिपोर्ट करती है। पी. सी. रखी जा सकती है।प्रारंभिक जाँच के संचालन के चरण में, जाँच करने की शक्तियों के प्रयोग को बाधित किया जा रहा है, इस तरह की जाँच का उद्देश्य राय बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता है।अपने नियोक्ता के अधीन अपने पद के कार्यकाल के दौरान, लोक सेवक पर आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति होने का संदेह भी नहीं किया गया होगा।हो सकता है कि ऐसी संपत्ति या संसाधन उनकी ओर से किसी के माध्यम से रखे गए हों।ऐसी स्थिति में,

च

जी.

एच.

155

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

अपने अवैयक्तिक चरित्र और सरकारी स्तर पर अधिकारी को अवैध रूप से अर्जित संसाधनों या संपत्तियों से जोड़ना सामान्य सुस्ती या आलस्य के कारण वास्तव में सरकार-नियोक्ता के लिए एक कठिन कार्य है।भ्रष्ट लोक सेवकों को बाहर निकालने के लिए, सरकार को इस संबंध में आवश्यक सामग्री एकत्र करने और एकत्रित करने के लिए ईमानदार और समर्पित कर्मियों को नियुक्त करना होगा।यदि कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो सी. आर. के संदर्भ में जांच होने की संभावना है। पी. सी., जांच अधिकारी को लोक सेवक और विवाद में संपत्ति या आर्थिक संसाधनों के बीच आवश्यक संबंध स्थापित करने वाले पूरे साक्ष्य को एकत्र करने और इकट्ठा करने में सक्षम बना सकता है।चूंकि परिस्थितियों की श्रृंखला में किसी भी कड़ी को तोड़ना पूरे अभ्यास के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देखभाल और निपुणता से समझौता न किया जाए।

ग

53. पी. सी. अधिनियम की धारा 13 और उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में हमें ए. एस. और उनकी पत्नी वाई. एस. के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए ए. आई. आर. और पूर्ववर्ती शिकायत को पढ़ने की आवश्यकता है।

डी.

54. अमेरिका ने मुख्यमंत्री के पास जो शिकायत दर्ज कराई है, वह विशेष रूप से यह आरोप लगाती है कि हालांकि ए. एस. बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आया था, जैसा कि शामिल होने के समय दायर की गई उसकी वार्षिक संपत्ति विवरणी से स्पष्ट होता है

आई. आर. एस. ने कहा, "वह अपनी आय के कानूनी स्रोतों के विपरीत 2500 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति जमा करने में कामयाब रहे हैं।"एक.

इसे एक बड़े दावे के रूप में देखा जा सकता है, जो पूरी तरह से अप्रमाणित है।हालाँकि, प्रारंभिक जाँच के खुलासे के कारण इसे खारिज नहीं किया जा सकता है जिसके कारण एफ़. आई. आर. दर्ज की गई और इसका हिस्सा बनी।हालांकि यह सच है कि यह अभियोजन पक्ष को एक ऐसा मामला बनाना है कि एक लोक सेवक के रूप में ए. एस. ने ऐसी संपत्ति या किसी भी कम मूल्य की संपत्ति अर्जित की जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान है, और जिसका उसके द्वारा संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं किया जा सकता है, जबकि वह पुलिस रिपोर्ट दाखिल करता है, यह कानून की आवश्यकता नहीं लगती है जब 25 फरवरी, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि सटीक तथ्यों और आंकड़ों को प्रथम सूचना रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।

ई.

च

55. आगे बढ़ते हुए, एफ़. आई. आर. के अवलोकन पर यह पाया गया है कि हालांकि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, 2004 से 2018 तक की "जाँच अवधि" है जिसके दौरान ए. एस. और वाई. एस. ने आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित की है।ए. एस. और वाई. एस. दोनों को वेतन, ब्याज और बेची गई संपत्तियों के मूल्य के लिए प्राप्त धन की मात्रा का अनुमान लगाने वाली कुछ गणनाएँ हैं।"मूल्य" के विवरण के साथ विभिन्न स्थानों पर ए. एस. और वाई. एस. द्वारा अधिग्रहित अचल संपत्तियों का विवरण भी मिलता है।

जी.

एच.

उसमें उल्लेख करें।इसके बाद यह कहा जाता है कि इन संपत्तियों के अलावा, देश के अन्य स्थानों पर ए. एस. और वाई. एस. के नाम पर अन्य संपत्तियां होने की संभावना है। विदेश में ए. एस. द्वारा किए गए संभावित निवेशों के संदर्भ भी हैं, या तो उनके अपने नाम पर या उनकी पत्नी और आश्रित सदस्यों के नाम पर।वाई. एस. के बैंक खाते में नियमित रूप से लाखों में धन जमा होने पर बड़ी राशि के निवेश से प्रतिफल (लाभ) की प्राप्ति होने का संदेह है।एफ. आई. आर. से यह भी पता चलता है कि अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2016 के दौरान रु. 1,01,83,869.00 और अक्टूबर, 2018 से नवंबर, 2019 के दौरान क्रमशः कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोर्टेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाई. एस. के बैंक खाते में रु. Rs.75,55,058.00 जमा किए गए थे और इस तरह के वित्तीय लेनदेन जिसमें बड़ी राशि शामिल है, प्रथम दृष्टया सूक्ष्म जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है।ये, एक 'स्मारक फाउंडेशन' के प्रवर्तक के रूप में ए. एस. और एक फर्म के भागीदार के रूप में वाई. एस. की भागीदारी से संबंधित कुछ अन्य खुलासों के साथ, निम्नलिखित सामग्री का खुलासा करते हैंः

ग

"***जांच में प्राप्त आय से अधिक की संपत्तियों के बारे में जानकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है।इसे ध्यान में रखते हुए, जांच की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त संपत्तियों के अलावा चल और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।ऐसी संभावना है कि न केवल शेयरों, वाहनों और आभूषणों के बारे में बल्कि रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।गैर-आवेदक अमन सिंह और यास्मीन सिंह द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2014 से दिसंबर, 2018 तक कानूनी रूप से प्राप्त आय रु। 3,33,71,290, जिसकी तुलना में, यह पाया गया कि गैर-आवेदक अमन सिंह द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने नाम और अपनी पत्नी और आश्रित सदस्यों के नाम पर अत्यधिक असमान खर्च किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) बी, 13 (2) के तहत अपराध पाया गया था, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 2018 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) द्वारा संशोधित किया गया था।"

डी.

ई.

च

56. यह सच है कि एफ. आई. आर. का मसौदा बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता था।चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लंबी खोजी प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक बिंदु है और इस तरह की जांच को एक आरोपी द्वारा इस तरह की रिपोर्ट के अयोग्य मसौदे का लाभ उठाते हुए विफल किया जा सकता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई चीजों को रोकने के लिए अधिक सावधानी और निपुणता की आवश्यकता होती है।हालाँकि, इस मामले में ए. आई. आर. के अयोग्य मसौदे पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

जी.

एच.

क्योंकि यह ए. एस. और वाई. एस. द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का मामला बनाता है। वास्तव में, यदि अंकगणितीय त्रुटियों या ए. एस. और वाई. एस. से संबंधित नहीं संपत्तियों के गलत विवरण से उत्पन्न गलत गणनाएं हैं, तो वे जांच में शामिल होने के दौरान इसे इंगित करने के लिए स्वतंत्र थे।उनके लिए जांच अधिकारी को यह बताने के लिए भी खुला है कि संपत्तियों/संपत्तियों का कोई दमन या खुलासा नहीं किया गया है और यह भी कि उनके द्वारा 'आपराधिक कदाचार' जैसी कोई गतिविधि नहीं की गई है।हालाँकि, उन्होंने इस आधार पर एफ़. आई. आर. को चुनौती देने का फैसला किया कि यह एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है।57. एफ. आई. आर. के हमारे पढ़ने के आधार पर, हम उन कारणों की सराहना करने में असमर्थ हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है।उच्च न्यायालय की राय थी कि (i) एफ. आई. आर. स्पष्ट रूप से

ग

यह दर्शाता है कि वही "आय से अधिक आय के संबंध में संभावनाओं पर आधारित है", (ii) प्राथमिकी "आय से अधिक आय की मात्रा के संबंध में मौन है, जो अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए फंसाने में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए सर्वोपरि कारक है", (iii) ये "बुनियादी तत्व प्राथमिकी के नंगे अवलोकन से प्रतिबिंबित नहीं होते हैं", (iv) "प्राथमिकी कहीं भी निश्चित तथ्यों और आंकड़ों के साथ किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है" और (v) "अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत अपराध नहीं बनाया गया है"।

डी.

58. एफ. आई. आर. की चुनौती का निर्णय करते समय, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने-अनजाने में, भजन लाल (उपरोक्त) में इस आशय की चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम और सावधानी से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; इसके अलावा, न्यायालय को एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करने में उचित नहीं ठहराया जाएगा; और यह भी कि, असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

ई.

च

59. ऐसा लगता है कि इस तरह की सावधानी का सभी मामलों में वांछित प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने अपने बाद के फैसलों में, उच्च न्यायालयों को कानून के तय किए गए सिद्धांत को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया कि जब भी संविधान के अनुच्छेद 226 या धारा 482 के तहत उनकी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। पी. सी. प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को रद्द करने के लिए, अदालतें उसमें लगाए गए आरोपों की संभावना, विश्वसनीयता या वास्तविकता (हमारा जोर) के रूप में जांच शुरू करना उचित नहीं होगा।हम इस संबंध में,

जी.

एच.

लाभप्रद रूप से किसी मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करें।

महाराष्ट्र राज्य बनाम में पी. सी. अधिनियम के तहत। ईश्वर पिराजी कल्पत्री 9.

60. श्री सिब्बल ने तपन कुमार सिंह (ऊपर) के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा जताया है।वहाँ, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया किः"20. *** संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए दी गई जानकारी केवल सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने और उसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करने की दृष्टि से जांच तंत्र को सक्रिय करती है।सही परीक्षण यह है कि क्या प्रस्तुत की गई जानकारी किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण प्रदान करती है, जिसकी जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को संहिता की धारा 156 के तहत अधिकार दिया गया है।यदि ऐसा होता है, तो उसके पास जानकारी दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए या तो स्वयं या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को जांच करने के लिए नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।यह सवाल कि क्या रिपोर्ट सही है, क्या यह घटना के तरीके के बारे में पूर्ण विवरण का खुलासा करती है, क्या आरोपी का नाम लिया गया है, और क्या आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, ये सभी ऐसे मामले हैं जो इस सवाल पर विचार करने के लिए अलग हैं कि क्या रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है।भले ही जानकारी इन मामलों के बारे में पूरा विवरण नहीं देती है, जांच अधिकारी मामले की जांच करने और यदि वह कर सकता है तो सही तथ्यों का पता लगाने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है।"

ग

डी.

ई.

61. इस प्रकार, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब कोई जांच अभी शुरू नहीं हुई है, तो इस बात की कोई जांच नहीं होनी चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप किस हद तक संभावित, विश्वसनीय या वास्तविक हैं और यह भी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संदेह पर दर्ज की जा सकती है, उच्च न्यायालय को यह महसूस करना चाहिए था कि प्राथमिकी, जो उसके अनुसार, "संभावनाओं" पर आधारित थी, को बाधित नहीं किया जाना चाहिए था।आरोपों की गंभीरता के चश्मे से देखने पर, अपराध होने की "संभावना" के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से एक "मात्र संदेह" पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की तुलना में उच्च स्तर की होगी कि एक अपराध किया गया है।उच्च न्यायालय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रहा और उसने ठीक वही किया जो उसे इस स्तर पर नहीं करना चाहिए था।इस प्रकार, हमारा बिना किसी हिचकिचाहट के यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने जिस आधार पर हस्तक्षेप किया, वह उचित नहीं था।

च

जी.

9 (1996) 1 एससीसी 542 ए

एच.

159

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

62. श्री हेगड़े आर**.** पी**.** कपूर **(**ऊपर**)** और भजन लाल **(**ऊपर**)** के फैसलों पर भरोसा करने में भी सही हैं कि इस मामले में प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करने के आधार पर रद्द किए जाने के लिए किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठती है।

63. के. टी. थॉमस, जे. (जैसा कि उनका प्रभुत्त्व तब था) के शब्दों को उधार लेते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान मामले में हाई

अदालत ने बेहतरीन जाली के माध्यम से शिकायत की तलाशी ली

कथित अपराध की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए।यह दृष्टिकोण प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देने पर विचार करने के चरण में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के कारण, हमारी सुविचारित राय है कि चुनौती के तहत निर्णय और आदेश अक्षम्य है।

ग

64. अब हम अवैध संवर्धन (आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा) के मामलों की जांच के विषय पर सी. बी. आई. द्वारा 12 नवंबर, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 29/2020 (इसके बाद संक्षेप में 'सी. बी. आई. परिपत्र') पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।सी. बी. आई. परिपत्र को देखने के बाद, हम जो पाते हैं वह यह है कि यह आय से अधिक संपत्ति के मामलों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करता है।तर्कों के लिखित टिप्पणियों के साथ 12 अप्रैल, 2021 का एक परिपत्र संलग्न किया गया है, जिसके द्वारा राज्य ने स्पष्ट किया है कि सी. बी. आई. की कार्यप्रणाली राज्य के ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. पर भी लागू होगी (क्योंकि राज्य के ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. की नियमावली को अधिसूचित नहीं किया गया है) और यह भी कि सी. बी. आई. की कार्यप्रणाली अखिल भारतीय और केंद्र सरकार के संबंध में लागू होगी। सेवा अधिकारी।हालाँकि, ए. एस. और वाई. एस. की ओर से यह तर्क कि सी. बी. आई. परिपत्र में प्रदान की गई कार्यप्रणाली उल्लंघन में देखी गई है, हमें प्रभावित करने में विफल रही है।जाहिर है, वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. 25 फरवरी, 2020 को दर्ज की गई थी, जबकि सी. बी. आई. का परिपत्र एफ. आई. आर. दर्ज होने के लगभग 9 (नौ) महीने बाद 12 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था, और राज्य द्वारा लगभग एक साल बाद इसे अपनाया गया था।चूंकि सी. बी. आई. परिपत्र 25 फरवरी, 2020 को अस्तित्व में नहीं था, इसलिए वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. को सी. बी. आई. परिपत्र के संदर्भ में अमान्य नहीं किया जा सकता है।यह न्यायसंगत और उचित है कि राज्य द्वारा अपनाए गए सी. बी. आई. परिपत्र का पालन केवल 12 अप्रैल, 2021 के बाद आय से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण के मामलों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के संबंध में किया जाना चाहिए।इसलिए, हम सीबीआई परिपत्र के कथित उल्लंघन के लिए प्राथमिकी को अमान्य करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

65. हम, इस प्रकार, पहले प्रश्न का उत्तर यह मानते हुए देते हैं कि उच्च न्यायालय ने जांच प्रक्रिया में अपने हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया और इस आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने में कानून की त्रुटि की।

एच.

66. दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस आधार पर एफ. आई. आर. को चुनौती दी जाती है कि यह दुर्भावना से दूषित है, इस पर विचार किया जाता है।67. राज्य में सत्ता में राजनीतिक व्यवस्था के इशारे पर गुप्त उद्देश्यों के आरोप और मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने का निर्देश, जो स्वयं कानून का उल्लंघन है, 2020 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. 88 में 'विषय वस्तु संक्षिप्त' शीर्षक के तहत पाए गए हैं।इस तरह के आरोपों की दर्पण छवियां भी 'मामले के तथ्य' शीर्षक के तहत पाई जाती हैं।रिट याचिका में संशोधन करते हुए और एफ. आई. आर. को चुनौती देते हुए और इसे रद्द करने के आदेश की मांग करते हुए, ए. एस. ने संशोधन के लिए आवेदन में निम्नलिखित आरोप लगाएः

"यह कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें संबोधित शिकायत पर की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है और याचिकाकर्ता के प्रति उक्त मुख्यमंत्री की घोषित सार्वजनिक शत्रुता को देखते हुए, जैसा कि याचिका में कहीं और बताया गया है, द्वेष का खुलासा

करता है।“वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान एफ. आई. आर. दर्ज करना प्रतिवादी राज्य की ओर से दुर्भावना का और सबूत है।

ग

डी.

“कि एफ. आई. आर. पुलिस और राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग है।यह याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम है "(पैराग्राफ 9.33)।

ई.

68. श्री जेठमलानी, जैसा कि वे अनुभवी हैं, ने महसूस किया होगा कि चुनौती के तहत निर्णय कमजोर नींव पर टिका है; इसलिए, उन्होंने ए. एस. और वाई. एस. के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने में काम करने वाले दुर्भावनापूर्ण विचारों पर अधिक स्पर्श करने वाले तर्क दिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री हेगड़े के इस कथन पर प्रतिक्रिया करते हुए कि कोई दुर्भावनापूर्ण अभिवचन नहीं हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाएं इस तरह के अभिवचनों से भरी हुई हैं।69. मानो श्री जेठमलानी की दलीलें पर्याप्त मजबूत नहीं थीं, हमने ए. एस. और वाई. एस. से दिन में देर से निर्देश के लिए आवेदन दायर किया था जिसमें कुछ रिपोर्टों/संदेशों/चैट को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी ताकि यह सबूत दिया जा सके कि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य वास्तव में एफ. आई. आर. की उत्पत्ति है। हमने निर्देशों के लिए आवेदन और विशेष रूप से पैराग्राफ 13 की सामग्री पर भी विचार किया है।

च

जी.

70. एक से अधिक कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं सफल नहीं होतीं, भले ही दुर्भावनापूर्ण याचिका को आगे बढ़ाया जाता और भजन लाल (उपरोक्त) में जो निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर प्राथमिकी पर हमला करने के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता।

एच.

161

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

क.

71. हमने ए. एस. और वाई. एस. द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार किया है और श्री हेगड़े से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि अभिवचन इस निष्कर्ष को वापस करने के लिए अपर्याप्त हैं कि एफ. आई. आर. दुर्भावनापूर्ण है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं; हालाँकि, ऐसे आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं। दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने और साबित करने की आवश्यकता है।हालाँकि, उस ओर से कोई नींव नहीं रखी गई है और इसलिए स्वाभाविक रूप से, उच्च न्यायालय ने यह भी जांच नहीं की कि क्या दुर्भावना के आधार पर प्राथमिकी में अपवाद लिया जा सकता था।

72. दूसरा, न तो राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख (निवर्तमान मुख्यमंत्री) और न ही प्रशासनिक कार्यपालिका (मुख्य सचिव) को व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था।अब, कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण आरोप लगाया जाता है, उसे कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में आरोपों की कोई जांच नहीं की जा सकती है।बिहार बनाम राज्य में यही निर्णय लिया गया है। पी. पी. शर्मा 10 लेट जाते हैं।इसे ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाला व्यक्ति, जिसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए हम दुर्भावनापूर्ण आरोपों को कोई महत्व नहीं देते हैं, भले ही कोई भी हो।

ग

डी.

73. तीसरा, यह याद रखना चाहिए कि जब पुलिस स्टेशन में कोई जानकारी दर्ज की जाती है और आय से अधिक संपत्ति के मामले के संबंध में कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो यह जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अदालत में पेश किए गए साक्ष्य होते हैं जो आरोपी के भाग्य का निर्धारण करने के लिए निर्णायक होते हैं।हमारे विचार से, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावना का परिणाम है, यह गौण महत्व का होगा।ऐसे मामले में, यदि दुर्भावनापूर्ण आरोप कुछ प्रथम दृष्टया मूल्यवान होते हैं, तो महत्वहीन हो जाएंगे यदि अभियुक्त को मुकदमे के लिए भेजने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की जाती है; इसलिए, दुर्भावनापूर्ण याचिका स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं बन सकती है।

ई.

च

74. अंत में, उपरोक्त के बाद, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यदि आपराधिक अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और यह अन्यथा उचित है, तो यह महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के कारण दूषित नहीं होता है।हम विरोधाभास के डर के बिना कह सकते हैं, यह हमारे देश में सभी मामलों में नहीं है कि एक व्यक्ति, जिस पर चूक/कमीशन के कृत्यों का आरोप है, के तहत दंडनीय है

जी.

10 1992 सप.(1) एससीसी 222

एच.

162

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

पी. सी. अधिनियम लेकिन सत्तारूढ़ व्यवस्था का आशीर्वाद रखता है, पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाता है और अभियोजन का सामना करना पड़ता है।यदि वास्तव में, ऐसे मामले में (जहां अभियोजन होना चाहिए था, लेकिन शुरू नहीं किया गया है) उत्तरवर्ती राजनीतिक व्यवस्था ऐसे अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कदम उठाती है, लेकिन उसके खिलाफ सामग्री होने के बावजूद उसे स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति दी जाती है, केवल इस आधार पर कि वर्तमान शासन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई इस अर्थ में दुर्भावनापूर्ण है कि यह या तो पूर्ववर्ती शासन के साथ समझौता करने के लिए है या व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए है, तो ऐसी स्थिति में हम यह देखने के लिए विवश हैं कि यह आपराधिक न्याय है जो हताहत होगा।ऐसा इसलिए है क्योंकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने के चरण में निर्णायक रूप से एक राय बनाना मुश्किल है कि लोक सेवक या तो अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति के कब्जे में है या नहीं।यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच पूरी होने के बाद अंततः क्या पता चलता है।यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवश्यकता के अनुसार, प्रथम दृष्टया, इस धारणा के लिए तत्व होने चाहिए कि पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय "आपराधिक कदाचार" से संबंधित संज्ञेय अपराध के होने का संदेह करने और जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण है।पैराग्राफ 49 (उपरोक्त) में हमने जो ऊपर देखा है उसे ध्यान में रखते हुए और शासन प्रणाली में ईमानदारी बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक प्रदूषकों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, यह विशेष रूप से वांछनीय होगा यदि उच्च न्यायालय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और "भ्रष्टाचार" मामलों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं करते हैं, विशेष रूप से जांच के चरण में, भले ही सत्तारूढ़ व्यवस्था की मजबूत रणनीति के कुछ तत्व स्पष्ट हो सकते हैं।सामान्य दंडात्मक कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने पर लागू होने वाले विचार पी. सी. अधिनियम के अपराध पर लागू नहीं हो सकते हैं।मुख्य रूप से, पी. सी. अधिनियम के तहत मामलों में उच्च न्यायालयों के लिए उचित मार्ग यह होगा कि वे जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दें और पीड़ित पक्ष को उचित स्तर पर कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए उपचार को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दें।यदि किसी भी मामले में हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है, तो वही मामले की विशेष विशेषताओं पर निर्भर होना चाहिए।यद्यपि विशेष विशेषताओं का गठन क्या होगा, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे असाधारण मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां

अभिलेख किसी लोक सेवक द्वारा अपनी सेवा की अवधि के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के उचित संदेह का समर्थन करने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री प्रकट नहीं करते हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

163

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. बनाम.अमन कुमार सिंह और हमारा। ईटीसी। ई. टी. सी. [दीपांकर दत्त, जे.]

दुर्भावना ऐसे सेवक की जाँच का आधार है।हम इस बात की काफी सराहना करते हैं कि प्रेरित शिकायतों से उत्पन्न जांच में निर्दोष लोक सेवकों के उलझने के मामले हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर कानून के शासन द्वारा शासित समाज बनना है तो इस छोटी सी कीमत का भुगतान करना होगा।हालांकि हम उच्च न्यायालयों को उचित मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन अदालतों को यहां कथित प्रकृति की दुर्भावना पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्टों को रद्द करने में सावधान, चौकस और सतर्क रहने के लिए याद दिलाना उचित और उचित है।

75. पूर्वगामी कारणों से, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण आधार पर भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं हैं।

ग

76. नतीजतन, हम विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और रिट याचिकाओं को सीधे खारिज करते हैं। तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है।

डी.

77. पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा तीन सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके भीतर ए. एस. और वाई. एस. कानून के अनुसार अपने उपायों को आगे बढ़ा सकते हैं।

78. दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

ई.

79. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल इन अपीलों के निपटारे के उद्देश्य से हैं।इसके बाद की कार्यवाही को कानून के अनुसार सख्ती से अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

च

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.